अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कुनणी पत्नि पन्ना **बनाम** अर्जुन पुत्र मुतबन्ना काना वगैरह

किस्म मुकदमा .225 राज.काश्तकारी अधिनियम . .नम्बर...187सन.2022(रूपनगढ़)

2022 / 187

श्री एस.पी.औझा एड

12.07.2022

कुनणी बनाम अर्जुन वगैरह

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। वकील अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर दिनांक 11.07.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र ने निवेदन किया कि अपीलांट विवादित आराजी खसरा नम्बर 1024 / 672 का रिकार्डेड खातेदार है जो सलंग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से स्पष्ट था इसलिए रेस्पोडेन्टस का उक्त खसरा नम्बर से कोई लेना–देना नही है और ना वह सहखातेदार दर्ज है तो बंटवारा वाद चलने योग्य नही है तो फिर उसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता उसके बावजूद बिना जवाब सुनवायी का अवसर प्रदान किये अपीलांट की खातेदारी आराजी में से रास्ता खुलवाकर उसकी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 672 में जाने की व्यवस्था कर रिपोर्ट पेश करने के अवैधानिक आदेश पारित किये है। वादी / रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विवादित आराजी खसरा नम्ब्र 1024 / 672 का खातेदार नही है इसलिए विभाजन का वाद चलने योग्य नही है अगर विभाजन का वाद खातेदार होने के आधार पर प्रस्तुत भी किया जाता है तो विभाजन के प्राथमिक डिक्री पारित होने के बाद कुरेजात रिपोर्ट मंगवाकर अंतिम डिक्री पारित होने पर ही खसरा नम्बर व रास्ते का आदेश पारित किया जाता है।विभाजन के वाद में रास्ता बंद को खुलवाये जाने के आदेश पारित नहीं किये जा सकते। रास्ते सम्बन्धि खुलवाने जाने के प्रावधान अलग से प्रदत्त है जिसमें अगर कोई रास्ता बंद कर दिया है तो धारा 251 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रदत्त है जो ग्राम पंचायत व तहसीलदार को प्रदत्त है तथा अगर खातेदार की भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया है तो उसके प्रावधान धारा 183 राज.काश्तकारी अधिनियम में प्रदत्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर जवाब व सुनवायी की जानी शेष है लेकिन उससे पूर्व ही अप्रार्थी को प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से रास्ते सम्बन्धि दादरसी प्रदान की गयी है जो अविधिक रूप से आदेश पारित किये गये है। यदि उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 29.06.2022 की पालना स्थगित कर दी जाती है तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी और अपील प्रस्तुत करने का आशय ही समाप्त हो जायेगा। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 29.06.2022 को स्थगित करते हुए मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विभाजन के वाद में रास्ता बन्द को खुलवाये जाने के पारित नहीं किये जा सकते है, रास्ते सम्बन्धी खुलवाये जाने के प्रावधान अलग से प्रदत्त है जिसमें अगर कोई रास्ता बन्द कर दिया है तो धारा 251 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रदत्त है जो ग्राम पंचायत व तहसीलदार को प्रदत्त है तथा अगर खातेदार की भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया है तो उसके प्रावधान धारा 183 राज.काश्तकारी अधिनियम में उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त है। प्रस्तुत प्रकरण में रास्ता खुलवाये जाने सम्बन्धी दादरसी बिना उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये ही की गई। प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 29.06.2022 को रास्ते बाबत् जो आदेश पारित किये है वे विधिसम्मत नहीं हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को आंशिक स्वीकार की जाती है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 29.06.2022 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम(परिसीमा तक ही) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें, तब तक न्यायहित में विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 29.06.2022 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को उपरोक्त निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (परिसीमा तक ही) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक न्यायहित में विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाए रखें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। पक्षकार को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर